शिक्षा का अधिकार और स्कूली शिक्षा की जनउपलब्धता, स्वीकार्यता एवं सामंजस्यता

(भोपाल ज़िले के विशेष संदर्भ में)

रमाकर रायज़ादा*

व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का अमूल्य योगदान होता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में शिक्षा के प्रसार के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों ने अनेक सुझाव दिये। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से देश के कोने-कोने में बच्चों के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के अथक प्रयास किये जा रहे हैं। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का बुनियादी अधिकार बन गया है। प्रस्तुत लेख में मध्यप्रदेश और विशेषकर भोपाल ज़िले से संबंधित आँकड़े व सूचनाएँ प्रकाशित स्त्रोतों से एकत्रित करके शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के परिपालन के प्रथम वर्ष के परिदृश्य को विश्लेषण करके प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा समाज में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक विकास करने में सहायक होती है तथा व्यक्ति को वह आधार प्रदान करती है, जिससे उसके भविष्य के सपनों का महल तैयार होता है, या यह कहा जाए कि 'शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है।' शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी देश प्रगति कर सकता है। इसलिए हमें सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी समाज को नई दिशा प्रदान कर सके। केंद्र सरकार द्वारा देश के हर नागरिक में पढ़ने लिखने की क्षमता के विकास का लक्ष्य लेकर चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने में एक सफ़ल प्रभावी कदम कहा जा सकता है जिसके अंतर्गत हर एक किमी. की दूरी पर प्राथमिक स्कूल और हर तीन किमी. की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूल को सुनिश्चित किया गया है। जिस गाँव में 6 से 14 वर्ष तक के 40 बच्चे हैं वहाँ प्राइमरीशाला खोलना ज़रूरी है। इसी तरह तीन किमी. के दायरे में अगर पाँचवीं पास 12 बच्चे भी मिलते हैं तो वहाँ मिडिल स्कूल खोला जाता है। स्कूल संचालन की स्थिति

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल–462013

में केंद्र सरकार 65 प्रतिशत और राज्य सरकार 35 प्रतिशत राशि खर्च करती है। (शर्मा, एच. आर. 2011) किंतु उसके बाद भी कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चे स्कूलों में प्रवेश लेने से वंचित रहे।

मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शासन की योजनाओं में निर्माण कार्य, बच्चों को पुस्तकें, वर्दी, साइकिल वितरण, शिक्षकों की समस्याएँ सुलझाना, आदि अनेक बिंदुओं पर समीक्षा की गई, जिसमें नरसिंहपुर पहले स्थान पर तथा नीमच दूसरे स्थान पर रहा। इंदौर, जबलपुर और अशोकनगर में भी अच्छा काम हुआ। स्कूली शिक्षा के मामले में भोपाल प्रदेश में 35वें स्थान पर आता है, मुरैना, शहडौल और अनूपपुर जैसे छोटे ज़िले भी राजधानी से आगे हैं।

संविधान के 86वें संशोधन द्वारा मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 को 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा को बुनियादी अधिकार बनाने का विधेयक संसद में पारित करके कानून के रूप में लागू करने का सामान्यत: सभी ओर स्वागत हुआ। कोठारी कमीशन ने 1966 में ही पड़ोस के स्कूल का विचार दिया था जिसके अनुसार हर बच्चे को पड़ोस के स्कूल में दाखिला लेने का हक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अब बच्चों को स्कूल प्रवेश के पूर्व की स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुज़रने के लिए विवश नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वंचित समूह एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चों को उन स्कूलों में जिनके पड़ोस की बस्तियों में वे रहते हैं, की कक्षा 1/के.जी./ नर्सरी (स्कूल की प्रथम कक्षा) में नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। निजी स्कूलों में भी इन बच्चों का प्रवेश नि:शुल्क ही दिया जाना है। इसके लिए हर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूह या कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। अधिनियम में 'वंचित समूह' और 'कमज़ोर वर्ग' की परिभाषा निम्न प्रकार की गई–

(क) वंचित समूह – 1. अनुसूचित जाति, 2. अनुसूचित जनजाति, 3. विमुक्त जाति 4. वनग्राम पट्टाधारी परिवार, 5. चालीस प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता वाले बच्चे (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे)

(ख) कमज़ोर वर्ग – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबी की रेखा के नीचे के कार्डधारी (बी.पी.एल. कार्डधारी) और विकलांग बच्चों से भरना है। मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रदेश के ज़िला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को इस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा 20 जुलाई, 2011 की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। प्रवेश के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में आवेदन का प्रारूप तथा अन्य आवश्यक सूचनाएँ भी समय-समय पर प्रकाशित की गईं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया निम्न प्रकार रही –

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, वंचित वर्ग तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवार अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन दे सकते हैं।

2. अधिनियम के अंतर्गत स्कूल जिस कक्षा से शुरू होता है उसी में प्रवेश होगा, अर्थात् यदि कक्षा पहली से पहले के.जी. या नर्सरी है तो उसी में दाखिला होगा।
3. अभिभावकों को प्रवेश फ़ार्म के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र या विकलांगता प्रमाण-पत्र देना होगा।
4. जिस स्कूल में सीटें खाली हैं, वहीं प्रवेश होगा।

इसके लिए गर्मियों की छुट्टी में भी स्कूल संचालकों को किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति की स्कूल में मौजूदगी सुनिश्चित करनी थी। यदि निजी स्कूल मुफ़्त दाखिले में आनाकानी करें तो इसकी शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ज़िला शिक्षा विभाग में भी प्रवेश का आवेदन किया जा सकता है। ज़िला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक अलग से काउन्टर खोला गया जहाँ 19 जुलाई, 2011 तक कार्यालयीन समय में गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों के अभिभावक निजी स्कूलों में खाली सीटों से संबंधित जानकारी ले सकेंगे तथा अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन भी जमा कर सकेंगे। फ़ार्म को स्कूल तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी विभाग की होगी। इसके साथ ही निजी स्कूलों में भी प्रवेश के आवेदन जमा किये जा सकते हैं तथा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश आवेदन फ़ार्म न लेने पर निजी स्कूलों के खिलाफ़ कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार के पास शिक्षा का अधिकार लागू होने से बढ़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले साल तक 65 हज़ार नये शिक्षकों की भर्ती की भी योजना है। (दैनिक भास्कर, भोपाल संस्करण, 7 जुलाई 2011) सरकार का विचार है कि पढ़ने-पढ़ाने के लिए सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। निजी स्कूलों में नि:शुल्क दाखिले के साथ ही किताबें तथा वर्दी भी मुफ़्त देने की योजना है। इस ओर प्रोत्साहन स्वरूप छात्र-छात्राओं को वर्दी खरीदने के लिए 400 रुपये, साइकिल के लिए 2300 रुपये तथा सरकारी स्कूल में पढ़कर बारहवीं में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हज़ार रुपये के चैक भी वितरित किये गये।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का सिर्फ़ स्कूलों में प्रवेश ही नहीं अपितु उनकी निरंतर 75 प्रतिशत उपस्थिति भी सुनिश्चित करना है। उपस्थिति पूरी न हो पाने की स्थिति में बच्चों के लिए संबंधित स्कूलों के शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त कक्षाएँ लगाई जाएँगी ताकि पढ़ाई को निर्धारित समय में पूरा करके बच्चे को अगली कक्षा में दाखिला दिया जा सके। कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए मूल्यांकन के तरीकों में परिवर्तन करने की भी राज्य सरकार की योजना है।

शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों की मान्यता

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को ज़िला शिक्षा अधिकारी से मान्यता लेनी है। इसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन बुलाये गये थे। अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ज़िम्मेदारी ब्लॉक स्तर के

अधिकारियों (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक स्त्रोत केंद्र समन्वयक) को दी गई है। प्रदेश के आधे स्कूलों ने मान्यता पाने हेतु आवेदन नहीं दिए। (पत्रिका, भोपाल संस्करण, 27 जुलाई 2011) भोपाल की स्थिति देखें तो ज़िले में मदरसों सहित निजी स्कूलों की संख्या लगभग दो हज़ार है। जुलाई माह के अंत में निजी स्कूलों की मान्यता के लिए दी गई चार माह की अंतिम तिथि समाप्त होने तक भोपाल ज़िले में 1726 निजी स्कूलों ने अपने मान्यता के आवेदन ऑनलाइन जमा किये तथा 323 मान्यता प्रकरण स्कूल स्तर पर ही लंबित रहे, इन स्कूलों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करा लिया पर फाइलें ब्लॉक स्तर पर नहीं भेजीं। अर्थात् जुलाई के अंत तक करीब तीन सौ स्कूलों ने मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन नही कराया। अब मान्यता के लिए आवेदन की तिथि बढ़ने के आसार नहीं है और स्कूलों पर कार्यवाही की तैयारी है। 25 जुलाई, 2011, मान्यता के लिए निजी स्कूलों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख निकल जाने के बाद भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रही, जिससे निजी स्कूलों की आवश्यक जानकारी भविष्य के लिए एकत्र हो जाए। अधिनियम में बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूलों के खिलाफ़ एक लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है।

पुराने स्कूल (जो 2010 के पहले खुले हैं), उन्हें अधिनियम के अनुसार ज़िला शिक्षा विभाग निरीक्षण के बाद हर हाल में बच्चों की संख्या के आधार पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, भवन, खेल के मैदान सहित सुविधाओं की उपलब्धता आदि होने पर मान्यता देगा। निरीक्षण के दौरान कमियाँ पाई जाने पर उन्हें पूरा करने के लिए 2013 तक का समय दिया जाएगा तथा मान्यता अस्थायी होगी। किंतु नये स्कूलों को सभी शर्तों के पूरा होने पर ही मान्यता दी जाएगी।

शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश

सभी वैदिक पाठशालाएँ, मदरसे और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं, इसलिए इन्हें भी शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्रवेश देना है। बच्चे अपने निकट के स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि किसी घर की एक किमी. की सीमा में चार स्कूल हैं तो वह इन चारों में आवेदन करने का हकदार होगा। जननेताओं को स्कूलों की सूची और प्रवेश आवेदन दे दिये गये, जो उन्हें भरवाकर स्कूल में भी पहुँचवाएँगे। अभिभावकों की सुविधा के लिए ज़िला शिक्षा अधिकारी और ज़िला परियोजना समन्वयक कार्यालय के अतिरिक्त पार्षदों के वार्ड कार्यालयों, खंड स्त्रोत समन्वयक के कार्यालय और निजी स्कूलों के कार्यालयों में भी प्रवेश फार्म उपलब्ध रहे। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया तीन चरणों में हुई

प्रथम चरण

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया मई 2011 से प्रारंभ की गई थी। 4 मई प्रथम चरण में आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख थी, 6 मई से फ़ार्म की छंटाई हुई तथा आधे-अधूरे भरे हुए व बिना दस्तावेज़ों के

जमा किये गये फ़ार्म निरस्त किये गये। भोपाल शहर के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों के करीब-करीब आधे से अधिक आवेदन निरस्त करके 10 मई को प्रथम सूची निकाली गई। पहले चरण में भोपाल ज़िले के 1249 स्कूलों में आये 7077 आवेदनों में से केवल 5566 बच्चे ही निजी स्कूलों में प्रवेश पा सके। 254 आवेदन अपूर्ण पाये गये। (पत्रिका, भोपाल संस्करण, 12 मई 2011) स्कूलों ने गलत दस्तावेज़ बताकर कई आवेदन निरस्त कर दिये। भोपाल शहर के कुछ निजी स्कूलों में वंचित और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आए आवेदनों का विवरण तालिका 1 में दिया गया है–

तालिका 1
भोपाल के कुछ निजी स्कूलों में प्रवेश आवेदनों की स्थिति

क्रम सं.	स्कूल का नाम	प्राप्त आवेदन	निरस्त आवेदन	प्रवेशित विद्यार्थी
1.	पीपुल्स स्कूल	55	42	5
2.	ऑल सैन्ट स्कूल	75	50	8
3.	सेंट जोसेफ़ स्कूल	202	124	75
4.	सेंट ज़ेवियर स्कूल	48	13	35
5.	कैम्पियन स्कूल	52	0	52
6.	कॉर्मल कॉन्वेंट	40	0	40
7.	सेंट फ्रांसिस स्कूल	18	0	18
8.	सेंट मेरी स्कूल	163	125	38
9.	सेंटमारिया कॉनवेंट	11	1	10
10.	रेड एंजिल स्कूल	12	0	12
	सी.बी. रमन स्कूल	06	0	06
	योग	682	355	299

स्त्रोत - दैनिक समाचार पत्र - 'दैनिक भास्कर' भोपाल संस्करण 11 मई, 2011

भोपाल शहर में आरक्षण के तहत प्रवेश पाने के लिए किये गये आवेदनों में आधे से अधिक निरस्त हो गये। प्रवेश के लिए सी.बी.एस.ई. स्कूलों की तरफ़ अच्छा रुझान रहा, 54 सी.बी. एस.ई. स्कूलों में 666 गरीब बच्चों को प्रवेश मिला जबकि इनमें 925 सीटें उपलब्ध थीं। 17 स्कूलों में लाटरी की प्रक्रिया द्वारा प्रवेश दिये गये तथा शेष में सीट से कम संख्या में ही आवेदन आये थे। (दैनिक भास्कर, भोपाल संस्करण 11 मई, 2011) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूलों में 4900 बच्चों को आरक्षण के अंतर्गत प्रवेश दिया गया। प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर प्रथम चरण में प्रवेश की स्थिति तालिका 2 में दर्शायी गई है–

तालिका 2
शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश की स्थिति

क्रम सं.	ज़िले का नाम	प्रवेश होना है	प्रथम चरण में हुए प्रवेश (प्रतिशत में)	रिक्त स्थान (प्रतिशत में)
1.	भोपाल	10,000	50	50
2.	गुना	1990	84	16
3.	होशंगाबाद	2000	64	36
4.	राजगढ़	2484	50	50
5.	रायसेन	300	45	55
6.	हरदा	2500	16	84
7.	विदिशा	7000	15	85
8.	सीहोर	1500	08	92

स्त्रोत – दैनिक समाचार पत्र – '*पत्रिका*' भोपाल संस्करण 12 मई, 2011

द्वितीय चरण

प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी भोपाल ज़िले में निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण की लगभग 50 प्रतिशत सीटें खाली थीं। (पत्रिका, भोपाल संस्करण 12 मई, 2011) दूसरे चरण में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों के लिए प्रवेश फ़ार्म 16 जून 2011 तक स्कूल में जमा करने थे, 20 जून 2011 को प्राप्त आवेदनों की लाटरी निकालकर बच्चों को प्रवेश दिया गया। दूसरे चरण में मुफ़्त प्रवेश प्रक्रिया में प्रचार प्रसार की कमी रही जिससे पहले चरण के मुक़ाबले कम दाखिले हुए। प्रवेश के दो चरण पूरे होने के बाद प्रदेश के निजी स्कूलों में 1,04,929 बच्चों का प्रवेश पूरा हुआ और लगभग 40 प्रतिशत आरक्षित सीटें खाली रहीं। अकेली राजधानी भोपाल के निजी स्कूलों में आरक्षण के अंतर्गत 10 हज़ार बच्चों के दाखिले का लक्ष्य था जिसमें से दो चरणों के पूरे होने तक सात हज़ार का ही दाखिला हो पाया और तीन हज़ार सीटें खाली रहीं। (पत्रिका, भोपाल संस्करण, 6 जुलाई, 2011) प्रदेश के प्रमुख शहरों के स्कूलों की संख्या, उनमें गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध स्थानों का विवरण तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3 को देखने से विदित होता है कि जबलपुर में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत काफी प्रवेश हुए। मध्यप्रदेश के पचास ज़िलों में 22,387 निजी स्कूल हैं, जिनमें वंचित और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए 1,70,987 सीटें रखी गई थीं, जिनमें से 1,04,929 सीटों पर द्वितीय चरण में (20 जून, 2011 तक) प्रवेश दिया जा चुका था और लगभग 66 हज़ार सीटें खाली बची थीं। (पत्रिका, भोपाल संस्करण, 6 जुलाई, 2011)

तालिका 3

मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों में 20 जून 2011 तक प्रवेश की स्थिति

क्रम सं.	शहर का नाम	स्कूलों की संख्या	आरक्षित सीटों की संख्या	20 जून तक हुए प्रवेश	खाली स्थानों की संख्या	खाली स्थान (प्रतिशत में)
1.	ग्वालियर	759	6650	3738	2912	43.79
2.	उज्जैन	1036	7025	4267	2758	39.26
3.	भोपाल	1138	9056	6547	2509	27.71
4.	इन्दौर	1622	10846	6536	4310	39.74
5.	जबलपुर	482	3966	3691	275	06.93
6.	सतना	977	6236	4503	1733	27.79

23 स्त्रोत – दैनिक समाचारपत्र '*पत्रिका*', भोपाल संस्करण दिनांक 6 जुलाई, 2011

तृतीय चरण

तृतीय चरण में 19 जुलाई तक प्रवेश फ़ार्म भरे गये तथा 20 जुलाई को लाटरी निकाली गई। आवेदन की तारीख बढ़ाये जाने का कारण इस वर्ग के लिए आरक्षित सीटें खाली होना है। भोपाल में करीब तीन हज़ार और प्रदेश में लगभग 70 हज़ार सीटें अब भी निजी स्कूलों में खाली हैं।

कमज़ोर और वंचित वर्ग के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सम्पन्न परिवारों के उन बच्चों ने भी अच्छे निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन किया है जिनका प्रवेश सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हो पाया। यह गरीब बच्चों के हक पर एक तरह से डाका ही कहा जाएगा, किंतु कुछ निजी स्कूलों ने इसे माना भी है। इसलिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुविधाएँ प्रदान करने में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए आय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। अधिनियम के तहत भोपाल ज़िले के 1054 निजी स्कूलों में वंचित और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए 11 हज़ार आवेदन किये गये और प्रवेश केवल 9 हज़ार को ही मिल सका (तालिका 4)।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) 2009 के अंतर्गत अच्छे स्कूल में गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा हेतु प्रवेश की इच्छा सभी बच्चों और उनके अभिभावकों की रही, भले ही वे कितने ही गरीब या झुग्गीवासी ही क्यों न हों। किसी भी निजी स्कूल में दाखिला हो जाये, यह सोचकर एक बच्चे के प्रवेश के लिए अभिभावकों ने तीन से चार स्कूलों में आवेदन किए। कई अभिभावक ज़िला शिक्षा विभाग भी पहुँचे किंतु उनमें अधिकतर लोगों ने जानकारी ही मांगी तथा कुछ ने ही अपने आवेदन दिये।

मध्यप्रदेश सरकार ने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में 1 लाख 70 हज़ार बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य रखा था और तीनों चरणों में कुल 1 लाख 41 हज़ार कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश कराया गया। प्रवेश प्रक्रिया होने के बाद प्रदेश में कुल 29,987 सीटें खाली रह गई हैं, जिन

पर अब पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश देना है। भोपाल के निजी स्कूलों में भी लगभग एक हज़ार आरक्षित सीटें खाली हैं।

शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन पर निजी स्कूलों की प्रतिक्रिया

अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएँ जो स्कूल की परिभाषा में आती हैं, उन पर भी आर.टी.ई. के प्रावधान लागू होते हैं। राजधानी के अधिकतर निजी स्कूल प्राइमरी कक्षा की सीटें छिपा रहे थे। अकेले भोपाल ज़िले की स्थिति को ही लें तो प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश से वंचित बच्चों की संख्या लगभग दो हज़ार है, और उन्हें सरकारी स्कूलों में ही जाना होगा। भोपाल के बड़े स्कूलों में गिने जाने वाले कॉर्मल कान्वेंट में 50, जवाहर स्कूल में 68, सेंट जोसेफ़ में 50 और कैम्पियन स्कूल में 75 सीटें (अर्थात् कुल 243 सीटें) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश के लिए थीं और आवेदन 350 बच्चों के आये। ज़िले में अधिनियम के अंतर्गत 10 हज़ार बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य था, आवेदन 11 हज़ार बच्चों के आये और केवल 9 हज़ार के ही प्रवेश हो सके। निजी स्कूलों की मनमानी के चलते उन बच्चों को शिक्षा के अधिकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कि इसके पात्र हैं। भोपाल में जिन निजी स्कूलों में सीटें खाली हैं, वे बच्चों को प्रवेश देने से साफ़ मना कर रहे हैं। कुछ निजी स्कूल संचालक असमंजस में भी रहे कि स्कूल की शुरुआती कक्षा तो नर्सरी है, जिसमें प्रवेश की आयु 3 से 5 वर्ष है और अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रवेश देना है। शिक्षा अधिकारियों के अनुसार जिन गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं हो सका है वे सरकारी स्कूलों में कभी भी प्रवेश ले सकते हैं।

शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत वंचित और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश पर कुछ मिशनरी स्कूलों ने आपत्ति भी उठाई तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग कानून होने का मुद्दा उठाया। बच्चों का दाखिला कराने में सरकारी हस्तक्षेप मिशनरी स्कूलों को बहुत नागवार गुज़रा है। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को मध्यप्रदेश में

तालिका 4

सत्र 2011-12 में बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य प्रवेश प्रक्रिया

क्रम सं.	प्रवेश के चरण	आवेदन	प्रवेश	कमी
1.	प्रथम चरण – 10 मई 2011	7077	5900	1177
2.	द्वितीय चरण – 20 जून 2011	2200	1800	400
3.	तृतीय चरण – 20 जुलाई 2011	1800	1247	553
	कुल	11,077	8947	2130

स्त्रोत – '*पत्रिका*' भोपाल संस्करण दिनांक 24 जुलाई 2011

लागू करने के लिए बने नियमों को मिशनरी स्कूलों के लिए बने नियमों के खिलाफ़ बताकर हाइकोर्ट में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और ज़िला शिक्षा अधिकारी को पार्टी बनाकर याचिका भी दायर की, जिस पर कोर्ट ने भी नोटिस जारी करके दो सप्ताह में जबाब मांगा था। इनके विरोध के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित रहे हैं- (*पत्रिका*, भोपाल संस्करण, 07 जुलाई, 2011)

1. अनिवार्य शिक्षा का सीधा विरोध किए बगैर, स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में सरकारी नियंत्रण पर सवाल उठाया गया तथा उसे नियम विरुद्ध बताया गया।
2. मिशनरी स्कूल पहले से रजिस्टर्ड हैं, अब उनकी राज्य में दुबारा मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता को नकारा गया।
3. भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों के अलग नियम हैं, तथा उनका संचालन उन्हीं नियमों के अंतर्गत होना चाहिए।
4. धारा 29 और 30 के अंतर्गत मिशनरी स्कूलों की अलग प्रबंधन कमेटी, फ़ीस संरचना आदि की बात कही गई तथा अधिनियम के माध्यम से अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का प्रश्न उठाया गया।

निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आरक्षित स्थान खाली होने पर भी फाटक पर चौकीदार 'सीट खाली नहीं है' कहकर प्रवेश के लिए आये बच्चों और उनके पालकों को वापस कर देते हैं। स्कूल प्रबन्धन आवेदकों के फ़ार्म जमा करना तो दूर, बात तक करने को तैयार नहीं होते तथा उन्हें कोई जानकारी नहीं देते। शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि जिन स्कूलों में स्थान उपलब्ध होते हुए भी प्रवेश नहीं दिये जा रहे हैं उनकी शिकायत आने पर कार्यवाही की जाएगी। कुछ मिशनरी स्कूलों ने कहा कि इन बच्चों के लिए अलग से कक्षाएँ लगाई जाएँ, क्योंकि यह बच्चे टीचर की अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते और इनकी बातचीत व व्यवहार में सुधार हेतु अलग से ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होती है, लेकिन अधिनियम इसकी इजाज़त नहीं देता और कुछ पालकों ने भी इसका विरोध किया। (*पत्रिका*, भोपाल संस्करण, 22 जुलाई 2011) अब शिक्षकों को इन बच्चों पर अधिक ध्यान देकर उन्हें दूसरे बच्चों की बराबरी पर लाना होगा। मिशनरी स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर विरोध में एक दिन के बंद की अनुमति भी मांगी। (दैनिक भास्कर, भोपाल संस्करण, 25 जुलाई 2011) स्कूल में सीट खाली होने के बाद भी अगर गरीब बच्चों के प्रवेश आवेदन नहीं लिए जाते तो स्कूल पर कार्यवाही होगी, जिसके अंतर्गत उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। जुलाई 2011 के द्वितीय सप्ताह में भोपाल शहर के कुछ प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में आरक्षित खाली सीटों का विवरण अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका 5 में दिया गया है–

तालिका 5

कुछ प्रमुख स्कूलों की कुल सीटें और आरक्षित खाली सीटों का विवरण

क्रम सं.	स्कूल का नाम	प्रारंभिक कक्षा में कुल सीटें	आरक्षित सीटें (25 प्रतिशत)	प्रवेशित छात्र	खाली सीटें	खाली सीटें (प्रतिशत में)
1.	केंपियन स्कूल, भौंरी	150	38	14	24	63
2.	सेंट जोसेफ़ ईदगाह हिल्स	200	50	28	22	44
3.	कॉर्मल कॉन्वेंट, बी.एच.ई.एल.	200	50	36	14	28
4.	माउन्ट कॉर्मल, कोलार रोड	60	15	00	15	100
5.	शारदा विद्या मंदिर	62	15	08	07	47
6.	बिला बॉग स्कूल	48	12	00	12	100
7.	मदर टेरेसा स्कूल	60	15	05	10	67
8.	दिल्ली पब्लिक स्कूल	216	54	36	18	33
9.	सेंट थेरेसा पिपलानी	170	43	27	16	37
10.	सागर पब्लिक स्कूल	60	15	05	10	67
11.	जवाहरलाल नेहरू स्कूल	273	68	38	30	44
12.	इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल	60	15	06	09	60
13.	नवनीत हासोमल लखानी स्कूल	120	30	03	27	90
14.	कॉर्मल कान्वेंट, रतनपुर	100	25	05	20	80
15.	आनन्द विहार स्कूल	45	11	11	00	00
16.	सेंट मैरी कॉनवेंट	150	38	38	00	00
17.	सेंट जोसेफ़ को-एड 11 नम्बर	310	78	78	00	00
18.	केंपियन स्कूल शाहपुरा	300	75	58	17	23
19.	डॉ. राधाकृष्णन सीनियर सेकेंडरी	150	38	38	00	00
20.	बालभारती स्कूल नीलबड़	10	02	02	00	00

21.	ओरिएंट इंटरनेशनल स्कूल	10	02	02	00	00
22.	ज्ञानगंगा स्कूल	32	08	00	08	100
23.	रेडक्लिक स्कूल डिपो चौराहा	25	06	05	01	17
24.	ग्रीन वैली स्कूल	120	30	14	16	53
25.	श्री भवन्स भारती पब्लिक स्कूल	30	07	04	03	43
26.	मानसरोवर पब्लिक स्कूल	30	07	04	03	43
27.	पीपुल्स पब्लिक स्कूल	20	05	05	00	00
28.	सेंट रेफ़ेल	30	07	02	05	71
29.	फादर आग्नेल को-एड	80	20	19	01	05
30.	वर्ल्ड वे इन्टरनेशनल	30	07	00	07	100
31.	विंध्याचल एकेडेमी	60	15	12	03	20
32.	मदर टेरेसा	150	37	21	16	43
33.	भोपाल गर्ल्स स्कूल	30	08	01	07	88
34.	मीठी गोविन्दराम स्कूल, बैरागढ़	120	30	05	25	83
35.	ऑल सेंट स्कूल गांधीनगर	85	21	16	05	24
	योग	3596	899	548	351	39

स्त्रोत – दैनिक समाचारपत्र *'दैनिक भास्कर'*, भोपाल संस्करण दिनांक 10 जुलाई 2011 एवं *पत्रिका,* जुलाई 19, 2011

सरकार की ओर से निजी स्कूल संचालकों के साथ हुई बैठक में बताया गया कि जितना व्यय सरकारी स्कूल में बच्चे पर होता है उतनी राशि प्रति बच्चे के हिसाब से निजी स्कूल को दी जाएगी और फिलहाल सरकार ने साल के अंत में एक किश्त में फ़ीस चुकता करने की बात कही है किंतु यह राशि प्रति छात्र कितनी होगी स्पष्ट नहीं किया गया। प्रवेशित गरीब बच्चों की फ़ीस के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2011-12 में एक करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिसका भुगतान शैक्षणिक सत्र के अंत में होगा। कुछ निजी स्कूलों ने कहा कि इस साल तो किसी प्रकार स्कूल प्रबन्धन इस भार को सहन कर लेगा किंतु अगले साल से कुछ अन्य उपाय करने होंगे। सरकार उन्हें भरपाई के रूप में कभी वह राशि नहीं देगी जो वे दूसरे बच्चों से फ़ीस के रूप में वसूलते हैं। इसलिए उन्हें उस व्यय को पूरा करने के लिए दूसरे बच्चों की फ़ीस को बढ़ाना होगा।

अभिभावकों की चिंता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को स्कूल तक तो ले आया, उनका प्रवेश मुफ़्त में हो गया किंतु जिनके बच्चों का प्रवेश हो गया है उनके अभिभावकों को चिंता है कि वे कैसे किताब-कॉपियों और स्कूल की विभिन्न गतिविधियों का खर्च पूरा करेंगे? उनके बच्चे किस प्रकार महलों में रहने वाले बच्चों से वर्दी, टिफिन बॉक्स, लाइफ़ स्टाइल, होमवर्क कराने की सुविधाओं में बराबरी कर पायेंगे? कहीं ऐसा न हो कि बच्चे हीन भावना के शिकार हो जाएँ? या पालक कर्ज़ के बोझ तले दबता चला जाए और अन्ततः बच्चे के ही भविष्य पर असर पड़े। इन सब चिंताओं, शंकाओं और कुशंकाओं के बीच एक अच्छी बात यह है कि शहर के नामचीन स्कूलों ने मज़दूरों, चौकीदारों, ड्राइवरों, गार्डों, मालियों, सफ़ाई कर्मचारियों और निम्न आय वर्ग के अन्य लोगों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रवेश दिया है और बच्चे इन सब चिंताओं से दूर रहते हुए दूसरे बच्चों के साथ खूब घुलमिल भी गये हैं। गरीब माता-पिता की इच्छा है कि जब सरकार उनके बच्चों को मंहगे अंग्रेज़ी स्कूलों में दाखिला दिला सकती है तो वह उनकी किताब कॉपी और वर्दी का खर्च भी उठा ले।

शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेशित गरीब बच्चों के लिए मंहगी किताबें और वर्दी का खर्च उठाने के लिए कुछ सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएँ, दानदाता और स्कूल प्रबन्धन ने भी चैरिटी कलैक्शन, पुअर बॉयज फंड और शिक्षक पालक संघ आदि के माध्यम से मदद की पहल की है। महसूस किया गया कि बच्चों को न तो पुरानी किताबें दी जाएँ और न ही सैकेंड हैंड यूनिफ़ार्म, क्योंकि इससे बच्चों में हीन भावना पैदा होगी। कुछ स्कूल प्रबन्धकों ने स्वयं ही कुछ गरीब बच्चों के लिए किताबें व वर्दी (यूनिफ़ार्म) सुलभ करवाईं। आठवीं कक्षा तक मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गरम पका हुआ भोजन मध्यप्रदेश के 12 लाख 65 हज़ार स्कूलों के लगभग 12 करोड़ बच्चों को दिया जाता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों में निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का दायरा दसवीं कक्षा तक बढ़ाने की योजना भी है। यह भी प्रस्ताव आया कि लॉयन्स क्लब जैसे सामाजिक संगठनों के सहयोग से कुछ दानी धनाढ्य लोगों को ढूँढ़ा जाए जो बच्चों को गोद ले लें जिससे उनका बारहवीं तक की शिक्षा का भविष्य सुधर जाए।

सरकारी स्कूलों पर प्रभाव

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश की बाढ़ को लेकर सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक नाराज़ प्रतीत होते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें पढ़ाने लायक नहीं समझा इसलिए बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा रहा है। (पत्रिका, भोपाल संस्करण, 9 मई 2011) प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम दौर में यह बदलाव कई शिक्षकों में नज़र आया। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत गरीब बच्चों को प्रवेश के लिए निजी स्कूलों की ओर जाने से उन्हें सरकारी स्कूलों का वजूद खतरे में नज़र आता है। अधिनियम के प्रावधान और सरकारी आदेश के कारण इसके विरोध में कोई खुलकर तो

सामने नहीं आया लेकिन नाराज़गी कमोवेश सभी शिक्षकों में है। उनके अनुसार निजी से बेहतर सरकारी शिक्षक पढ़ाई करा सकते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से योग्य (Qualified) होते हैं, निजी स्कूलों में अप्रशिक्षित और कम योग्य शिक्षक भी रख लिए जाते हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षकों का मानना है कि सरकारी और निजी स्कूलों में केवल भवन का अंतर है (जैसे – भोपाल ज़िले में ही कुल 22 प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल और 16 हाईस्कूल भवनविहीन भी हैं) (दैनिक भास्कर, भोपाल संस्करण, 23 जुलाई 2011)। सरकारी स्कूल में सुविधाएँ न होने से कमी नज़र आती है, मगर पढ़ाने की बात की जाए तो इसमें कहीं कमी नहीं है।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 70 लाख विद्यार्थी हैं, तथा लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी भोपाल के स्कूलों में हैं। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्दी के लिए प्रति विद्यार्थी ₹ 400/ का वितरण प्रारंभ किया है। यह राशि सीधे विद्यार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, इसके लिए भोपाल में ज़िला प्रशासन ने बैंकों को ज़ीरो बैलेन्स खाते खोलने के निर्देश दिये हैं। बच्चों को खाता खोलने के लिए केवल स्कूल प्राचार्य का सत्यापन पर्याप्त दस्तावेज़ माना जायेगा।

इस साल भोपाल जिले के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में बच्चों की संख्या में साठ प्रतिशत तक की कमी आई है। ज़िले के 1050 सरकारी स्कूलों में पिछले वर्ष 28 हज़ार बच्चों ने प्रवेश लिया था और इस साल प्रवेश का आँकड़ा 12 हज़ार तक ही पहुँच सका है। अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका 6 में भोपाल शहर के कुछ सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में प्रवेश की स्थिति को दर्शाया गया है–

तालिका 6
भोपाल के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश की स्थिति

क्रम सं.	स्कूल का नाम	पिछले वर्ष की प्रवेश संख्या	इस वर्ष की प्रवेश संख्या	कमी	प्रतिशत कमी
1.	मिडिल स्कूल हबीबिया	45	28	17	37.78
2.	मिडिल स्कूल एम. ए. सी. टी.	57	24	33	57.89
3.	मिडिल स्कूल गांधी बाल विद्या मंदिर	40	28	12	30.00
4.	मिडिल स्कूल विजयनगर	73	28	45	61.64
5.	मिडिल स्कूल स्टेशन	38	20	18	47.37
6.	मिडिल स्कूल द्वारका नगर	72	50	22	30.56
7.	मिडिल स्कूल बाग फ़रहत आफ़जा	112	87	25	22.32

स्त्रोत – समाचार पत्र *दैनिक भास्कर*, भोपाल संस्करण दिनांक 19.07.2011

भोपाल ज़िले के 823 सरकारी प्राइमरी स्कूलों की पहली कक्षा में बच्चों की संख्या लगभग 30 हज़ार होती है। लगभग 10 हज़ार बच्चों का प्रवेश निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर होने से लगभग 20 हज़ार बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पहुँचेंगे। जिन पालकों को अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलेगा वे पढ़ायेंगे ही, क्योंकि वहाँ इन बच्चों से फ़ीस भी नहीं ली जाएगी। कुछ पालकों का यह भी मानना है कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा पढ़ाई अच्छी नहीं होती। प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या कुल स्कूलों की 17 प्रतिशत है लेकिन इनमें नियुक्त शिक्षकों की संख्या 35 प्रतिशत से अधिक है। निजी स्कूल में प्रति स्कूल 7 शिक्षक हैं जबकि सरकारी स्कूलों में यह औसत 2.5 शिक्षकों का है। विद्यार्थी संख्या कम होने से कई शिक्षकों के समायोजन की ज्वलंत समस्या भी आयेगी।

'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम के सुपरिणाम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से शिक्षा जगत में एक जनजागृति आई। मध्यप्रदेश और विशेषकर भोपाल के संदर्भ में इसके सुपरिणाम निम्नलिखित हैं–

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को मान्यता लेनी है, जिसमें स्कूल का निरीक्षण करके संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। इससे गुणात्मक शिक्षा के लिए उचित शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
2. शिक्षा सत्र 2011–12 प्रारंभ होने से पहले सभी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध समितियों का गठन हो जाएगा। प्रबंध समितियों में 50 प्रतिशत अभिभावक और बाकी शिक्षक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।
3. सरकारी स्कूलों में तर्कसंगत व्याख्या (Rationalisation) के साथ छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य अभियान चलाकर सत्र के प्रारंभ से ही पूरा किया जाएगा।
4. मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने बच्चों को पढ़ाने के नियम बना दिये। बच्चों को अपने आसपास के वातावरण से परिचित कराया जाएगा। बच्चों को खेत में ले जाकर फसल, गाँव, जंगल, आदि के बारे में बताया जाएगा। इनके पाठ्यक्रम में गाँव व शहर के इतिहास को खोजना भी शामिल किया गया है।
5. शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को रटने के बजाए सीखने की ललक जगाना मुख्य उद्देश्य है।
6. मध्यप्रदेश में सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक विकास व नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के अतिरिक्त साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की रोज़ाना एक कक्षा लगेगी। बच्चों की साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व सृजनात्मक प्रतिभा व व्यवहार को सतत रूप से परखा जाएगा। एक चार्ट में बच्चे स्वयं भी अपेक्षित गुण व व्यवहार का अपना मूल्यांकन कर सकेंगे।
7. हर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा जिसमें उसकी हर उपलब्धि का लेखा जोखा होगा। कक्षा आठ के बाद यह फाइल बच्चे

को ही दे दी जाएगी। हम स्कूल में कैसे थे?, यह सब एक फाइल से ही सामने आ जाएगा।

8. स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, वर्दी, साइकिल तथा अन्य सुविधाएँ और अध्यापकों को वेतन भत्ते आदि के बारे में ज़िला के शिक्षा अधिकारियों से एस. एम. एस. (SMS) के माध्यम से स्थिति (Status) पूछी जाएगी और इनके समय पर न मिलने की दशा में चेतावनी दी जाएगी और कार्यवाही होगी।
9. अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को फेल, पास और परीक्षा के झंझट से मुक्ति मिल गई। शिक्षण प्रक्रिया में ही सात मासिक मूल्यांकन होंगे जबकि एक अर्द्धवार्षिक और वार्षिक रहेगा।
10. मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने 'प्रश्न भेजो इनाम पाओ' प्रतियोगिता कराई। शिक्षा विभाग ने आम लोगों से पूछा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और उनसे कैसे प्रश्न किये जाएँ? अभिभावक, शिक्षाविद् और आम नागरिकों ने ढेरों जबाब भेजे, जिनमें से कुछ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
11. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2011-12 से प्रतिभापर्व योजना प्रारंभ की है, जिसमें कक्षावार कुछ मापदंड निर्धारित किये गये हैं (जैसे - पहली कक्षा में बच्चों को 1 से 50 तक गिनती आना और अ से ज्ञ तक अक्षर पहचानना व पढ़ना, दूसरी कक्षा में 100 तक गिनती, अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षर ए,बी,सी पढ़ना लिखना और दो शब्दों के अक्षर पढ़ना आदि)। नवंबर-दिसंबर में टीम निरीक्षण करके बच्चों का टेस्ट लेगी। निर्धारित दक्षताएँ 90 प्रतिशत हासिल करने पर पाँच हज़ार रुपये एवं 80 प्रतिशत हासिल करने पर ढाई हज़ार रुपये राज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
12. सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश में कहीं पर भी पढ़ाई को छोड़कर शिक्षकों से चुनाव और जनगणना के राष्ट्रीय कार्य छोड़कर अन्य काम नहीं लिया जाएगा।
13. महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 24 बच्चों की सूची शिक्षा विभाग को दी, जिनका प्रवेश निजी स्कूलों में होना है। इनमें से 5 बच्चों को भोपाल में कटारा हिल्स स्थित रियॉन पब्लिक स्कूल में दाखिला देना होगा।
14. प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, इसमें गणित, अंग्रेज़ी और संस्कृत के शिक्षकों की कमी को देखते हुए डी.एड. या बी.एड. की डिग्री न होने पर भी शिक्षक के रूप में भर्ती हो सकेगी तथा तीन वर्ष के अंदर उन्हें शैक्षिक डिग्री पूरी करनी होगी।
15. मध्यप्रदेश के हर ज़िले से एक शिक्षक को इंग्लिश टीचिंग इन्स्टीट्यूट में भेजा जाना है जहाँ उन्हें अंग्रेज़ी के बदलते स्वरूप और पढ़ाई को बेहतर बनाने के तरीके सिखाये जाएँगे।
16. शिक्षकों की शिकायतें दूर करने के लिए ज़िला स्तर पर ज़िलाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा, ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त या नगरपालिका अधिकारी,

मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग और ज़िला शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

17. मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग ने एजुकेशनल पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/rte विकसित किया है जिस पर सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी।

निष्कर्ष और सुझाव

बड़े दुख की बात है कि देश की स्वतंत्रता को आधी सदी से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी हम अपनी शिक्षा नीति निश्चित नहीं कर पाये हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में बच्चे साक्षर तो हो रहे हैं, किंतु बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं। स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के अतिरिक्त चुनाव ड्यूटी, पल्स-पोलियो, जनगणना आदि अनेक कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है। शिक्षा में सुधार के लिए मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षक समाख्या, पढ़ना-बढ़ना, गतिविधि-आधारित शिक्षा (Activity based learning), बहु-कक्षा शिक्षण (Multi-grade teaching), रचनावाद (Constructivism) आदि अनेक शिक्षण विधियाँ प्रयोग में आईं। फिर भी शिक्षक और विद्यार्थी भविष्य के प्रति असमंजस में ही हैं। शिक्षकों को पढ़ाने की तड़प है परन्तु शिक्षकों को इतना अधिकार भी नहीं है कि कब, कैसे और कितना पढ़ायें। विशेष योग्यताधारी और प्रयोगधर्मी शिक्षक अपने ज्ञान-कौशल और अनुभव का उपयोग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाते। किंतु निजी विद्यालयों में बिना किसी नवीन प्रयोग के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अतः शासन को नये प्रयोगों को छोड़कर शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के सीखने पर विशेष ध्यान देना होगा तभी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के साथ उचित न्याय हो सकेगा। इक्कीसवीं सदी में सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक होगा–

1. अधिनियम का पालन कराना केवल प्रशासन की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी के सम्मिलित सोच एवं प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता लाने की आवश्यकता है।
2. हमारे देश में अधिकांश जनता अभी भी गाँवों में निवास करती है, इसलिए गाँवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षिक योजनाएँ बनाई और लागू की जानी चाहिए।
3. विद्यालयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की सामान्य सुविधाओं और खेलकूद की सामग्री की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
4. शिक्षा के अधिकार के परिपालन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जनशिक्षा रजिस्टर बनाने होंगे कि प्रत्येक बच्चा अपने अधिकार का उपयोग कर ले। इसी प्रकार शहरों में वार्ड शिक्षा रजिस्टर होंगे।
5. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद स्कूलों की संख्या भी बढ़ानी हो सकती है तथा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नवीन मानदंड बनाने होंगे और उनकी भरपाई के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

6. नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के लिए (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में) अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके लिए अलग से सर्वेक्षण करके उन्हें या तो स्कूल में लाना होगा या उनके घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी।
7. अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। इन प्रबंध समितियों की मासिक या द्विमासिक आधार पर नियमित बैठकें होनी चाहिए तथा इन बैठकों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार और शिक्षकों की समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।
8. शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हर शिक्षक को प्रति सप्ताह 45 घंटे स्कूल में देने हैं, यह विलम्ब से स्कूल आने और जल्दी वापिस जाने पर संभव नहीं होगा। इसलिए शिक्षकों की सेवा शर्तों में संशोधन कर उन्हें गाँव में रहने की शर्त जोड़नी होगी।
9. स्कूलों के निरीक्षण सहित अन्य कार्यों के लिए जनशिक्षक, संकुल शैक्षिक समन्वयक, विकासखंड शैक्षिक समन्वयक और शिक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर समन्वयित प्रयास करने की आवश्यकता होगी।
10. सामान्य रूप में शिक्षक जनशिक्षक, संकुल शैक्षिक समन्वयक, विकासखंड शैक्षिक समन्वयक आदि की ज़िम्मेदारी लेने से कतराते हैं, इसलिए इन पदों पर कार्य करने के लिए कुछ विशेष मौद्रिक और अमौद्रिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
11. निजी स्कूलों में लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर और भाषायी परेशानियों के चलते कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे और हीन भावना के चलते मानसिक दबाव में डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए सरकार को स्कूल के समकक्ष ही व्यय की भरपाई करनी चाहिए।
12. स्कूलों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी (Educational Technology) और संचार व संप्रेषण तकनीक (Information and Communication Technology-ICT) का भरपूर उपयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहिए। इससे सूचनाओं के आदान-प्रदान में लगने वाले समय की भी बचत होगी।
13. वंचित समूह के सम्पन्न परिवारों के बच्चे भी अच्छे निजी स्कूलों में अधिनियम के आधार पर दाखिले के लिए आवेदन करते हैं। इसलिए वंचित समूह में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आय सीमा का निर्धारण भी होना चाहिए।
14. शिक्षा प्रणाली में लचीलापन और जीवन की विविधता होनी चाहिए, वह परीक्षा केंद्रित या नौकरी केंद्रित न हो। उसे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखना होगा तथा पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए, ताकि सभी बच्चे बराबरी के स्तर पर आ सकें।
15. शिक्षकों को रोज़ाना बच्चों के शिक्षण के लिए नये विषयों पर नये पाठ तथा सामग्री तैयार करनी चाहिए। फिर बच्चों से कक्षा में सीधे सवाल-जवाब करके उनकी समझ

पैनी करनी चाहिए। इससे शिक्षकों का भी प्रोफ़ेशनल विकास होगा।

16. शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सतत अनुसंधान की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन करके शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर अनुसंधान एकक की स्थापना की जानी चाहिए तथा शिक्षा नीतियाँ शोध परिणामों पर आधारित हों।
17. शिक्षा व्यवसाय के हर पहलू को कॉरपोरेट नज़रिये से देखकर उसे एक कॉरपोरेट लुक देने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षण संस्थान प्रमोटरों के भी अच्छे विकास की आवश्यकता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर अमल करके प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता, पहुँच, एवं उसकी स्वीकार्यता व अनुकूलता सहभागिता आधारित लोकतंत्र में असंगत बैठती है। इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा योग्य शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें विभिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणालियों में समानता भी लानी होगी और बच्चे के प्रदर्शन को ही व्यवस्थात्मक गुणवत्ता का एक सूचक समझना चाहिए, जिसके लिए सरकारी पहल आवश्यक है। किंतु हमारी शिक्षा व्यवस्था तेज़ी से बढ़ते निजीकरण और सरकारी क्षेत्र में संसाधनों की कमी व असमान वितरण से बोझिल है तथा ऐसी स्थिति में गुणवत्ता के मुद्दे पर अनेक व्यावहारिक व जटिल प्रश्न खड़े होते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अच्छे परीक्षा परिणाम या भौतिक संसाधन ही गुणवत्ता का पर्याय नहीं हैं बल्कि योग्य व उत्साही शिक्षक जो अध्यापन को एक कैरियर के रूप में देखें, वे ही विद्यार्थियों के लिए सर्वसुविधा सम्पन्न स्कूली माहौल बना सकते हैं। शिक्षकों की श्रेष्ठता उन्हें चुनने के साधन, प्रशिक्षण प्रक्रिया और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त नीतियों पर निर्भर करती है।

संदर्भ

दैनिक भास्कर, 2011 अप्रैल-अगस्त. भोपाल संस्करण, भोपाल प्रेस परिसर.

एन.सी.ई.आर.टी. 2010. रायज़ादा, रमाकर. *'नवनियुक्त शिक्षकों की शैक्षिक समझ व प्रशिक्षण प्राथमिकताएँ - प्राथमिक शिक्षकों के विशेष संदर्भ में'. भारतीय आधुनिक शिक्षा.* अक्तूबर 2010 संस्करण, नयी दिल्ली.

_____ 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा.* नयी दिल्ली – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्.

_____ 2000. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*, नयी दिल्ली – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.

पत्रिका. 2011 अप्रैल - अगस्त. भोपाल संस्करण।

भारत सरकार. 2009. *भारत का राजपत्र - असाधारण भाग -2* – (नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम) नयी दिल्ली – राजकीय मुद्रणालय, मिन्टो रोड.

मेहता, विजयशंकर. 2011. *सर्व शिक्षा का सपना, दैनिक भास्कर,* भोपाल संस्करण दिनांक 10 अगस्त, भोपाल – प्रेस कॉम्पलेक्स.

शर्मा, एच. आर. अगस्त 2011. *सहायक संचालक.* राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर से बातचीत.